उद्योग संचालनालय,मध्यप्रदेश

(स्वरोजगार योजना कक्ष)

क्रमांक: 18/स्वरोयो/5(3-ब)/2014/ 7126 -7178 भोपाल, दिनांक 11.8.2014

प्रति,

महाप्रबंधक(समस्त)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- नवीन स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन पत्र एवं सह पत्रों में त्रृटि/संशोधन ।

संदर्भ:- उद्योग संचालनालय का पत्र पृष्ठांकन पत्र दिनांक 8.8.2014

विषयांकित संदर्भ अनुसार उद्योग संचालनालय द्वारा पृष्ठांकित पत्रानुसार नवीन योजनओं की मार्गदर्शिका के साथ संलग्न मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आवेदन पत्र में निम्न संशोधन किये जाते हैं:-

1. आवेदन पत्र की कंडिका 7 (ब) में अंकित " व्यवसाय" शब्द विलोपित किया जाये ।
2. आवेदन पत्र के संलग्न सहपत्रों की सूची के बिन्दु क्रमांक 2 में "स्थाई निवास प्रमाण- पत्र" के स्थान पर म.प्र. का "मूल निवासी प्रमाण-पत्र" शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है ।

उपरोक्त योजना की भांति, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मार्गदर्शिका के आवेदन पत्र के साथ सहपत्रों में निम्न संशोधन किये जाते हैं:-

आवेदन पत्र के साथ संलग्न सहपत्रों की सूची के बिन्दु क्रमांक 2 में "स्थाई निवास प्रमाण- पत्र" के स्थान पर म.प्र. का "मूल निवासी प्रमाण-पत्र" शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है ।

अत: आवेदन पत्र एवं सहपत्रों को संशोधित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्ताक्तानुसार आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची सभी संबंधितों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

<u>उद्योग आयुक्त द्वारा आदेशित</u>

संयुक्त संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त,म.प्र.

क्रमांक: 18/स्वरोयो/5(3-ब)/2014/ 7179 - 7298 भोपाल, दिनांक 11.8.2014

प्रतिलिपि-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सह आयुक्त, संस्थागत वित्त, विध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संयोजक एवं फील्ड महाप्रबंधक (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया),राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, 9-अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार प्रक्रिया से सभी बैंकों को अवगत कराकर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये।
5 जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (लीड बैंक) समस्त की ओर सूचनार्थ ।
6. अपर/संयुक्त संचालक उद्योग (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संयुक्त संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त,म.प्र.